जय भीम ।　　　　लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर की जय।　　　　जय धनगर, जय मल्हार !

धनगर समाज उत्थान समिति (पंजी0)

पंजी0 स0 AGR/04716/2024-2025

कार्यालयः 793, सेक्टर – 4, आवास विकास कॉलोनी, बोदला, आगरा 282007 - उत्तर प्रदेश

संतोष धनगर, प्रदेश अध्यक्ष

निवास स्थानः फ्लैट न – 1, प्लाट न A 60, लेन 4 मधु विहार इन्द्र प्रस्थ विस्तार नई दिल्ली 110092

फोन :9868004027, **ई मेल** : dhangar1sk@gmail.com

पत्र संख्या:- 2024/CMBLM/2026　　　　दिनांक: 10/01/2025

सेवा में,

माननीय मुख्यमंत्री महोदय,
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

विषय:- धनगर जाति के बारे में राष्ट्रपति आदेश 1950 का अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने में असमंजस सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश शासन को मनमाने ढंग से बिना दिमाग लगाए (Without application of mind), वांछित अभिलेखों का संज्ञान लिए बिना, जल्दबाजी में साजिश के तहत, अनावश्यक जारी किए गए पत्र दिनांक 25/3/2019 पर प्रशासन को स्पष्टीकरण के संबंध में अनुरोध।

संदर्भ:- 1)धनगर समाज उत्थान समिति का पत्र दिनांक 22/11/2024

2)राष्ट्रपति आदेश 1950 के अनुसार जारी काका कालेलकर रिपोर्ट सन 1955

माननीय मुख्यमंत्री जी,

कृपया उपरोक्त विषय पर धनगर समाज उत्थान समिति के संदर्भित पत्र दिनांक 22/11/2024 का संज्ञान लेने का कष्ट करें जिसके द्वारा आदरणीय प्रमुख सचिव समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश शासन को धनगर जाति के बारे में राष्ट्रपति आदेश 1950 का अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने में असमंजस सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश शासन को मनमाने ढंग से बिना दिमाग लगाए (Without application of mind), वांछित अभिलेखों का संज्ञान लिए बिना, जल्दबाजी में साजिश के तहत, अनावश्यक जारी किए गए पत्र दिनांक 25/3/2019 पर समस्त जिलाधिकारियों/मंडलायुक्तों को स्पष्टीकरण हेतु अनुरोध किया है।

जैसा कि प्रायः देखा गया है कि कुछ प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कई बार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के पत्र दिनांक 25/3/2019 का हवाला देकर धनगर जाति प्रमाण पत्र जारी करने में आनाकानी की जाती है जिससे राष्ट्रपति आदेश 1950 में उत्तर प्रदेश के लिए अनुसूचित जाति की सूची में उल्लिखित जाति "DHANGAR" धनगर अपने संवैधानिक अधिकार को सुगमता पूर्वक प्राप्त नहीं कर पा रही है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा पत्र दिनांक 25/3/2019 समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश शासन को मनमाने ढंग से बिना दिमाग लगाए (Without application of mind), वांछित अभिलेखों का संज्ञान लिए बिना, जल्दबाजी में साजिश के तहत, अनावश्यक जारी किया गया है। यह पत्र **समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश शासन को दिया गया था जहां से** दिनांक 27 जून 2019 को इसका समुचित जवाब भी दे दिया गया है लेकिन फिर भी कुछ सरकार और धनगर विरोधी नामुराद अधिकारियों द्वारा साजिश के तहत इस पत्र का हवाला देकर राष्ट्रपति आदेश 1950, राजस्व संहिता के अनुसार अनुपालनीय उत्तर प्रदेश शासन के आदेशों का खुलेआम उल्लंघन करके धनगर समाज को उसके संवैधानिक अधिकार सुगमता पूर्वक प्राप्त होने में बाधा डाली जाती है अतः शासन द्वारा समस्त जिलाधिकारियों/मंडलायुक्तों को भी इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी किया जाना अत्यावश्यक है।

कृपया इस संबंध में निम्नलिखित बिंदुओं का संज्ञान लेने का कष्ट करें:-

1) राष्ट्रपति आदेश 1950(Presidential Notification) के अनुसार काका कालेलकर की रिपोर्ट सन 1955 में उल्लिखित हिंदी एवं अंग्रेजी में दिए गए के जातियों के नाम में संपूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए अनुसूचित जाति की सूची में अधिसूचित जाति"DHANGAR" को हिंदी में "धनगर" ही लिखा गया है अतः धनगर जाति ही सन 1950 से अनुसूचित जाति में अधिसूचित है इसलिए प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग पत्र दिनांक 25/3/2019** के आधार पर धनगर जाति को अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाना राष्ट्रपति आदेश 1950(Presidential Notification) का उल्लंघन होने के कारण घृणित आपराधिक कृत्य है।

2) प्रदेश सरकार और काका कालेलकर की रिपोर्ट दोनों में दिए गए प्रस्तावों में समानता के आधार पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन अधिनियम 1956 को जारी किया गया है।काका कालेलकर की रिपोर्ट तथा दिनांक 29 अगस्त 1977 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सभी जिलाधिकारी और केंद्र सरकार को जारी किए गए पत्र के माध्यम से भी स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश शासन ने भी धनगर जाति को ही अनुसूचित जाति में प्रस्तावित किया था।अतः अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन अधिनियम 1956 में भी संपूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए अनुसूचित जाति की सूची में अधिसूचित जाति "DHANGAR" "धनगर" ही है।

3) संविधान अनुच्छेद 341(1) के अनुसार महामहिम राज्यपाल के द्वारा प्रस्तावित किए जाने के आधार पर ही महामहिम राष्ट्रपति महोदय किसी जाति को अनुसूचित जाति में अधिसूचित करते हैं। अतः सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार यदि महामहिम राष्ट्रपति महोदय की भूमिका भी निभा रहा हो तब भी प्रमुख सचिव समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश शासन अर्थात महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा प्रस्तावित किए बिना किसी जाति को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल या हटाया नहीं जा सकता है। अतः सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने धनगर विरोधियों की साजिश के तहत इस पत्र के माध्यम से संवैधानिक व्यवस्था को ही तार तार कर दिया गया है।

4) अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन अधिनियम 1976 के लिए संसद के पटल पर रखे गए बिल संख्या 59/1976 का हिंदी संस्करण (https://sansad.in/getFile/BillsTexts/LSBillTexts/Hindi/Asintroduced/59_1976_LS_HIN.pdf?source=legislation) में संपूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए अनुसूचित जाति की सूची में अधिसूचित जाति"DHANGAR" को हिंदी में "धनगर" ही लिखा गया है। तथा इस विधेयक में केवल क्षेत्रीय प्रतिबंधों को हटाने मात्र का ही प्रावधान था न कि किसी जाति को बदलने का प्रावधान था।

5) विधि एवं न्याय मंत्रालय ने RTI application No LEGIS/R/E/24/00385 में दिनांक 13/11/2024 को सूचना प्रदान की है कि:-

"any corrigenda for the Bill pending in any House of Parliament are prepared and issued by the concerned Secretariat of that House itself. Legislative Department does not provide any corrigenda related to any Bill as referred above to the Rajya Sabha /Lok Sabha Secretariat. In view of above, the matter does not pertain to this Department. However, the same may pertain to the concerned House Secretariat where the Bill was introduced."(संसद के किसी भी सदन में लंबित विधेयक के लिए कोई भी शुद्धि पत्र उस सदन के संबंधित सचिवालय द्वारा ही तैयार और जारी किया जाता है। विधायी विभाग किसी भी विधेयक से संबंधित कोई शुद्धि पत्र राज्य सभा/लोकसभा सचिवालय को उपलब्ध नहीं कराता है।)

अतः विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा बिल संख्या 59/1976 हेतु दिनांक 24 मई 1976 को जारी तथाकथित शुद्धि पत्र - 2 एवं उसके आधार पर जारी बिल संख्या 59C/1976 का हिंदी संस्करण (जिनको लोक सभा सचिवालय द्वारा सितम्बर 2024 में ऑनलाइन पोर्टल पर डाला गया है) पूरी तरह से विधि विरुद्ध है, संविधान अनुच्छेद 341 (1) का उल्लंघन है। जिसके आधार पर कथित रूप से जारी 29 नवंबर 1979 को प्रकाशित करवाया गया अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन अधिनियम 1976 के गजट के हिंदी अनुवाद में DHANGAR की सही हिंदी वर्तनी धनगर को बदलकर धंगड किया गया है।

CamScanner

6)उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर धांगर जाति का आदेश वापस लेकर धंगड जाति का आदेश जारी करने पर ऑल इण्डिया धनगर समाज महासंघ ने माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज में याचिका संख्या 40462/2009 दायर की जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14/3/2012 को अनुसूचित जाति आयोग भारत सरकार को दिए आदेश के अनुसार Consequential Action के साथ DHANGAR को स्पष्ट करना था,जिसके आधार पर माननीय आयोग द्वारा लिए गए निर्णय दिनांक 03/12/2012 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 12436/2007 में जारी आदेश दिनांक 03/9/2013 में स्वीकार किया गया है तथा माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार ही माननीय आयोग ने माननीय न्यायालय सहित सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश शासन को भी अपने पत्र दिनांक 16/1/2013 द्वारा Consequential Action के लिए अवगत कराया है कि अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र "धनगर जाति" को ही जारी किया जाएगा DHANGAD (धंगर/धनगड़/धंगड़) को जारी नहीं किया जाएगा।

अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी धनगर-धंगड का असमंजस दूर कर दिया गया है।

7) अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 को दिनांक 01.10.1979 को विधि एवं न्याय मंत्रालय भारत सरकार की अनुमति से महाराष्ट्र सरकार द्वारा भी अपने राजपत्र में मराठी भाषा में प्रकाशित किया गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य के लिए दी गई सूची में धनगर जाति को ही अनुसूचित जाति में दर्शाया गया है।

माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त बिंदुओं के आलोक में धनगर जाति के बारे में राष्ट्रपति आदेश 1950 का अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने में असमंजस **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश शासन को** मनमाने ढंग से बिना दिमाग लगाए (Without application of mind), वांछित अभिलेखों का संज्ञान लिए बिना, जल्दबाजी में साजिश के तहत, अनावश्यक जारी **किए गए पत्र दिनांक 25/3/2019** पर स्पष्टीकरण जारी करवाने का कष्ट करें ताकि धनगर जाति प्रमाण पत्र सुगमतापूर्वक जारी हो सकें तथा कृत कार्यवाही से धनगर समाज उत्थान समिति (पंजी.) को ईमेल dsusamitiup@gmail.com के माध्यम से सूचित करवाने का कष्ट करें।

सलग्रक:- उपरोक्तानुसार

संतोष धनगर,
प्रदेश अध्यक्ष

भारतीय डाक
India Post

ED786144079IN IVR:6968786144079
SP NIRMAN BHAWAN SO <110011>
Counter No:5,10/01/2025,15:31
To:HONOURABLE CM ,UP ADMIN
PIN:226001, Lucknow GPO
From:SANTOSH DHA,DHANGAR SAMAJ
Wt:75gms
Amt:47.20,Tax:7.20,Amt.Paid:47.00(Cash)
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial [illegible]6868> <Wear Masks, Stay Safe>

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश शासन को दिनांक 25/3/2019 को जारी पत्र में उठाये गए बिंदुओं पर बिंदुबार आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:-

क्रमांक	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा दिनांक 25/3/2019 को जारी पत्र में उठाये गए बिंदु	आपत्तियां
1.	इस मंत्रालय को यह जानकारी मिली है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने दिनांक 24.01.2019 के परिपत्र सं. 207-सीएम/26-3-2018 (प्रति संलग्न) के तहत सभी मंडल आयुक्तों और जिला मजिस्ट्रेटों को गडरिया समुदाय के पाल,बघेल जिनका उल्लेख अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) की केंद्रीय सूची के क्रमांक 14 पर किया गया है, जैसे कुछेक वर्गों के सदस्यों को धनगर नाम से अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र जारी करने के लिए कहा गया है।..........	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 24 जनवरी 2019 को जारी किए गए आदेश की जानकारी कब और कैसे मिली, जानकारी मिलने पर प्रदेश सरकार से इसका सत्यापन क्यों नहीं करवाया गया एवं स्पष्टीकरण क्यों नहीं मांगा गया? बिना अपेक्षित कार्यवाही करें सीधे ही उत्तर प्रदेश शासन के आदेश को रद्द करने का आदेश क्यों दे दिया गया? तथा उससे भी ज्यादा जरूरी एवं पहले अपने खुद के मंत्रालय के सचिव द्वारा 6 मई 1998, 5 मई 1998, 17 फरवरी 1998 को DHANGAR धनगर जाति के संबंध में जारी किए गए पत्रों से संबंधित फाइल का अध्ययन क्यों नहीं किया गया और यदि बहुत ज्यादा रिसर्च का शोक था तो DHANGAR धनगर जाति के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा याचिका संख्या 40462/2009(जिसमे मंत्रालय खुद एक पक्ष था) में जारी किए गए आदेश और उस पर माननीय आयोग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा मंत्रालय को जारी पत्रों का अध्ययन क्यों नहीं किया गया? और भी ज्यादा Phd लेनी थी तो काका कालेलकर रिपोर्ट 1955 (जिसमें राष्ट्रपति आदेश 1950 में उल्लिखित जातियों के नाम हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में पहले से ही उपलब्ध हैं) एवं इस आधार पर जारी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन अधिनियम 1956 का भी अध्ययन कर लेते। और इससे भी ज्यादा जल्दी में थे तो संसद की वेबसाइट पर अपलोड बिल संख्या 59/1976 के हिंदी अंग्रेजी संस्करण का ही अध्ययन कर लेते। उपरोक्त से साबित होता है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी यह पत्र अनावश्यक है बिना दिमाग लगाए (Without application of mind) जल्दबाजी में साजिश के तहत के जारी किया गया है। अन्य पिछड़े वर्ग की केंद्रीय सूची में केवल "गडरिया जाति" ही ओबीसी में दर्ज है पाल, बघेल ओबीसी में दर्ज नहीं है।
2.	संविधान के अनुच्छेद 341 के उपबंधों के अंतर्गत अनुसूचित जातियों को अधिसूचित किया जाता है। किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित अनुसूचित जातियों की पहली सूची केवल राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अधिसूचित की जाती है। उक्त सूची में बाद में कोई अंतर्वेशन या अपवर्जन अनुच्छेद 341 के खंड (2) के	संविधान अनुच्छेद 341 (1) के अनुसार महामहिम राज्यपाल के द्वारा प्रस्तावित किए जाने के आधार पर ही महामहिम राष्ट्रपति महोदय किसी जाति को अनुसूचित जाति में अधिसूचित करते हैं। राष्ट्रपति आदेश 1950 के अनुसार काका कालेलकर की रिपोर्ट सन 1955 में उल्लिखित हिंदी एवं अंग्रेजी में दिए गए के जातियों के नाम में उत्तर प्रदेश के लिए अनुसूचित जाति की सूची में अधिसूचित

	मद्देनजर केवल संसद के अधिनियम द्वारा ही के किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय ने अनेक निर्णयों के द्वारा यह उल्लेख किया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अंतर्गत राष्ट्रपति के आदेशों को उसी स्वरूप में पढ़ा जाना चाहिए और इस संबंध में कोई जांच की जानी या कोई साक्ष्य दिया जाना कि केवल जाति (क) का उल्लेख आदेश में किया गया है लेकिन जाति (ख) भी जाति (क) का एक भाग है और ऐसी स्थिति में जाति (ख) को भी एससी माना जाना चाहिए, के संबंध में अनुमति नहीं दी जा सकती है। अनुच्छेद 341 के खंड(1) के अंतर्गत अनुसूचित जाति को विनिर्दिष्ट करने के बारे में राष्ट्रपति द्वारा एक बार अधिसूचना जारी करने के बाद उसे केवल अनुच्छेद 341 के खंड (2) में यथा-निर्धारित संसद के अधिनियम द्वारा ही संशोधित किया जा सकता है। राज्य सरकारों/न्यायालयों या अधिकरणों या किसी अन्य प्राधिकारी को अनुसूचित जाति की सूची को उपांतरित, संशोधित या परिवर्तित करने की अनुमति नहीं है।	जाति "DHANGAR" को "धनगर" ही लिखा गया है।(अनुलग्नक "B") प्रदेश सरकार और काका कालेलकर की रिपोर्ट दोनों में दिए गए प्रस्तावों में समानता के आधार पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन अधिनियम 1956 को जारी किया गया है। काका कालेलकर की रिपोर्ट तथा दिनांक 29 अगस्त 1977(अनुलग्नक "C") में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सभी जिलाधिकारी और केंद्र सरकार को जारी किए गए पत्र के माध्यम से भी स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश शासन ने भी धनगर "DHANGAR" जाति को ही अनुसूचित जाति में प्रस्तावित किया था। अतः राष्ट्रपति आदेश 1950 में भी संपूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए अनुसूचित जाति की सूची में अधिसूचित जाति "DHANGAR" "धनगर" ही है। अतः अनुच्छेद 341 के खंड(1) के अंतर्गत महामहिम राष्ट्रपति द्वारा एक बार अनुसूचित जाति "DHANGAR" को "धनगर" विनिर्दिष्ट करने के बाद उसे केवल अनुच्छेद 341 के खंड (2) में यथा-निर्धारित संसद के अधिनियम द्वारा इस उद्देश्य के लिए बिल लाकर ही "धंगड" किया जा सकता है।
3.	वर्तमान में, उत्तर प्रदेश राज्य के लिए गडरिया, धनगर, पाल, बघेल समुदायों को एससी के रूप में विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है। अतः इस समुदाय के सदस्य अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पात्र नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार के पत्र के पैरा 3 के अंतर्गत दिया गया यह प्रकथन कि समूचे उत्तर प्रदेश में धनगर समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में अधिसूचित किया गया है, सही नहीं है, इसकी बजाए धंगड समुदाय को अनुसूचित जाति की सूची के क्रमांक 27 पर अनुसूचित जाति के रूप में अधिसूचित किया गया है। धनगर समुदाय के सदस्यों को जाति प्रमाणपत्र जारी करना संविधान के अनुच्छेद 341 के उपबंधों तथा इस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि के विरुद्ध है। इस समुदाय के सदस्यों को प्रमाण पत्र जारी करना असंवैधानिक तथा गैर-कानूनी है।........	राष्ट्रपति आदेश 1950 के अनुसार काका कालेलकर की रिपोर्ट सन 1955 में उल्लिखित हिंदी एवं अंग्रेजी में दिए गए के जातियों के नाम में उत्तर प्रदेश के लिए अनुसूचित जाति की सूची में अधिसूचित जाति "DHANGAR" को "धनगर" ही लिखा गया है। अतः धनगर (DHANGAR)जाति ही संपूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए अनुसूचित जाति में अधिसूचित है। जबकि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन अधिनियम 1976 में इसके लिए संसद के पटल पर रखे गए बिल जिसमें केवल क्षेत्रीय प्रतिबंधों को हटाने का प्रावधान था जातियों के नाम में परिवर्तन का प्रावधान नहीं था उसके लिए विधि एवं न्याय मंत्रालय के तृतीय श्रेणी कर्मचारी के हवाले से शुद्धि पत्र जारी करके "धनगर" को "धंगड" किया गया है जिसपर मांगी गई सूचना में विधि एवं न्याय मंत्रालय ने सूचना दी है(अनुलग्नक "C") कि संसद के पटल पर रखे जाने के बाद संबंधित सदन ही शुद्धि पत्र जारी कर सकता है। अतः धनगर की बजाए धंगड को अनुसूचित जाति प्रमाणपत्र जारी करना संविधान के अनुच्छेद 341 के उपबंधों के विरुद्ध है।
4.	अतः यह उपयुक्त है कि राज्य सरकार दिनांक 24.01.2019 और दिनांक 06.11.2018 के परिपत्रों को रद्द करे और इस मामले पर सांविधि के अनुसार	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी यह पत्र अनावश्यक है बिना दिमाग लगाए (Without application of mind) जल्दबाजी में साजिश के तहत के जारी किया गया है।

CamScanner

	विचार करने के लिए भारत सरकारे को उक्त दोनों प्रस्ताव विधि द्वारा निर्धारित करने हेतु भेजे।	राष्ट्रपति आदेश 1950 के अनुसार काका कालेलकर की रिपोर्ट सन 1955 में उल्लिखित हिंदी एवं अंग्रेजी में दिए गए के जातियों के नाम में उत्तर प्रदेश के लिए अनुसूचित जाति की सूची में अधिसूचित जाति "DHANGAR" को "धनगर" ही लिखा गया है। अतः धनगर (DHANGAR)जाति ही संपूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए अनुसूचित जाति में अधिसूचित है। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 24.01.2019 को जारी आदेश को रद्द करके और इस मामले पर सांविधि के अनुसार विचार करने के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजना संविधान अनुच्छेद 341(1)(2) का उल्लंघन है।

संतोष धनगर,
प्रदेश अध्यक्ष,
धनगर समाज उत्थान समिति (पंजी.)

CamScanner

A+ A A-

Select Language: English

Public Authorities Available

RTI Online

Version 2.0

An Initiative of Department of Personnel & Training, Government of India.

Home Submit Request Submit First Appeal View Status View History Login User Manual Contact Us FAQ

Online RTI Status Form

Note:Fields marked with * are Mandatory.

Enter Registration Number	LEGIS/R/E/24/00385
Name	Santosh Dhangar
Received Date	23/10/2024
Public Authority	Legislative Department
Status	REQUEST DISPOSED OF
Date of action	13/11/2024
Reply :- any corrigenda for the Bill pending in any House of Parliament are prepared and issued by the concerned Secretariat of that House itself. Legislative Department does not provide any corrigenda related to any Bill as referred above to the Rajya Sabha /Lok Sabha Secretariat. In view of above, the matter does not pertain to this Department. However, the same may pertain to the concerned House Secretariat where the Bill was introduced.	
CPIO Details :-	Prakash Chand Meena Phone: 011-23388007 prakash[dot]meena[at]nic[dot]in
First Appellate Authority Details :-	Udaya Kumara Phone: 011-23384404 aa-rti-legis[at]nic[dot]in
Nodal Officer Details :-	
Telephone Number	011-23388007
Email Id	prakash[dot]meena[at]nic[dot]in

Print RTI Application Print Status Go Back

Home | National Portal of India | Complaint & Second Appeal to CIC | FAQ | Policy

Copyright © 2023. All rights reserved. Designed, Developed and Hosted by National Informatics Centre, New Delhi on the instructions of DOP&T

CamScanner

Annex 'B'

GOVERNMENT OF INDIA

REPORT

OF THE

Backward Classes Commission

Vol. II

(LISTS)

[illegible] IN INDIA BY THE MANAGER GOVT. OF INDIA PRESS [illegible] PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI
195[illegible]
Price : Rs. 3-6-0 or 5s. 6d.

CamScanner

CamScanner

CamScanner

8/10

UTTAR PRADESH

List of Scheduled Castes published under the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950, together with the revision suggested by the Backward Classes Commission

Sl. No.	Existing List	Hindi Equivalent	Estimated Population, 1951	Communities recommended for Exclusion	Communities recommended for Inclusion	Hindi Equivalent	Estimated Population, 1951
1	2	3	4	5	6	7	8
	Throughout the State						
1	Agariya	अगरिया	6,891	Bhoksa	1 Aheriya	अहेरिया	..
2	Badi	बादी	..	Gond (recommended for inclusion among Scheduled Tribes throughout the State)	2 Balai	बलाई	..
3	Badhik	बधिक	1,593		3 Bayar	बयार	..
4	Baheliya	बहेलिया	13,552		4 Khatik	खटीक	..
5	Baiga	बैगा	..		5 Kolta	कोल्टा	..
6	Baiswar	बैसवार	2,71,169		6 Kori	कोरी	..
7	Bajaniya	बजानिया	..		7 Mochi	मोची	..
8	Bajgi	बाजगी	..		8 Musahar	मुसहर	..
9	Balahar	बलहार	..		9 Tarmali (may be put with Pasi)	..	..
10	Balmiki	बाल्मीकि	..				
11	Bangali	बंगाली	..				

CamScanner
CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8
12	Banmanus	बनमानुष					
13	Bansphor	बांसफोड़					
14	Barwar	बरवार	3,018				
15	Basor	बसोर					
16	Bawariya	बावरिया					
17	Beldar	बेलदार	31,591				
18	Beriya	बेड़िया					
19	Bhantu	भांटू					
20	Bhoksa	भोक्सा	1,081				
21	Bhuiya	भुइयां	691				
22	Bhuiyar	भुईयार	8				
23	Boria	बोरिया					
24	Chamar	चमार	73,33,150				
25	Chero	चेरो	3,591				
26	Dabgar	दबगर	263				
27	Dhangar	धनगर					
28	Dhanuk	धानुक					
29	Dharkar	धरकार					